



JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Proceeding of Projects and Works Committee Meeting -12/2021-2022

Meeting of Projects and Works Committee 12/2021-22 was held on 01.04.2022 under the Chairmanship of Jaipur Development Commissioner Shri Gaurav Goyal in "Manthan" at 6.00 PM. The list of officers who attended the meeting is enclosed. After discussions on the agendas, the decisions made by the committee are as under:

Agenda Item No.	OIC	Subject/Agenda Details	Decision taken	Action to be taken by
1	MS PWC	Confirmation of proceeding of 10/2021-22 PWC meeting held on 03.11.21	पी.डब्लू.सी बैठक 10/2021-22 दिनांक 03.11.2021 की कार्यवाही की पुष्टि की गई	MS PWC
2	MS PWC	Compliance report of decision taken in PWC Meeting 11/2021-22 held on 31.12.2021	पी.डब्लू.सी बैठक 11/2021-22 दिनांक 31.12.2021 की पालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।	MS PWC
3	DC-8	ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर के खसरा न0 1782, 1763,1784 रकबा 3.95 है0 मे से 20168.61 वर्ग मीटर भूमि का संस्थानिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड अनुमोदन करने बाबत।	उपायुक्त जोन-8 द्वारा ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर के खसरा न0 1782, 1763,1784 रकबा 3.95 है0 मे से 20168.61 वर्ग मीटर भूमि का संस्थानिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड अनुमोदन करने बाबत प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर के खसरा न0 1782, 1763,1784 रकबा 3.95 है0 मे से 20168.61 वर्ग मीटर भूमि का संस्थानिक प्रयोजनार्थ (राजकीय महाविद्यालय सांगानेर हेतु) एकल भूखण्ड अनुमोदन किया गया।	DC-8
4	DC-8	जयपुर विकास प्राधिकरण की सायपुरा संस्थानिक योजना में स्थित रिजर्व भूमि में दो व्यावसायिक भूखण्ड सृजित कर योजना में संशोधन करने बाबत।	उपायुक्त जोन-8 द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की सायपुरा संस्थानिक योजना में स्थित रिजर्व भूमि में दो व्यावसायिक भूखण्ड सृजित कर योजना में संशोधन करने बाबत प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण की सायपुरा संस्थानिक योजना में स्थित रिजर्व भूमि में दो व्यावसायिक भूखण्ड सी-1 क्षेत्रफल 434.05 वर्ग मीटर एवं भूखण्ड सं0 सी-2 क्षेत्रफल 966.00 वर्ग मीटर सृजित कर योजना में संशोधन करने का अनुमोदन किया गया।	DC-8
5	EE-PRN (N)	Approval for additional scope of work for shifting electric pole, cables under sanctioned A&F sanction for the work "Construction of Bituminous sector roads in PRN-North JDA	अधिश्रापी अभियंता, पी.आर.एन उत्तर द्वारा बताया गया कि सेक्टर रोड निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति रु0 1703.16 लाख उपलब्ध है एवं वर्तमान में बिजली की लाईन एवं अन्य भूमिगत सुविधायें अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए रु0 165.00 लाख की आवश्यकता होगी। यह अतिरिक्त कार्य पूर्व में जारी वित्तीय स्वीकृति में शामिल नहीं है परन्तु इस कार्य में प्रस्तावित बचत के विरुद्ध किया जा सकता है। अधिश्रापी	EE-PRN(N)

Sum P

		Jaipur Phase-I (ARC)	अभियंता, पी आर एन नोर्थ द्वारा उपलब्ध प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में कराये जाने की स्वीकृति चाही गयी हैं। विचार विमर्श पश्चात समिति द्वारा उपलब्ध स्वीकृति रु0 1703.16 लाख मे से रु0 165.00 लाख राशि बिजली की लाईन व भूमिगत सुविधाओं का शिफ्ट करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	
6	DC-4	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की भूमि पर जविप्रा द्वारा विकसित योजना मेट्रो एनक्लेव में स्थित फेसेलिटी का भूखण्ड स0 2, क्षेत्रफल 3122.13 वर्गमीटर भूमि Electric Substation हेतु आवंटित करने बाबत एण्ड यूज निर्धारित करने के संबंध में।	उपायुक्त जोन-4 द्वारा जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की भूमि पर जविप्रा द्वारा विकसित योजना मेट्रो एनक्लेव में स्थित फेसेलिटी के भूखण्ड स0 2, क्षेत्रफल 3122.13 वर्गमीटर भूमि मेसे 1000 मीटर भूमि को Electric Substation हेतु आवंटित करने बाबत एण्ड यूज निर्धारित करने के संबंध में प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात मेट्रो एनक्लेव में स्थित फेसेलिटी भूखण्ड स0 2, क्षेत्रफल 3122.13 वर्गमीटर भूमि मे से 1000 मीटर भूमि का एण्ड यूज Electric Substation निर्धारण करते हुए आवंटित करने का निर्णय लिया गया।	DC-4
7	EE-2	Proposal for approval of A&F for the work of Renewal of 60 Mtr. & 45 Mts. Wide roads of Vidhyadhar Nagar Scheme, Zone-2, JDA, Jaipur amounting to Rs. 7,65,08,427.00	अधिसाषी अभियन्ता जोन-2 द्वारा समिति के समक्ष विद्याधर नगर योजना, जोन-2 की 60 मी0 व 45 मी0 चौड़ी सड़क के सुधारिकरण कार्य हेतु रु0 7,65,08,427.00 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का प्रकरण प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात रु0 7,65,08,427.00 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।	EE-2
8	EE-8	Proposal for sanction of A&F for the work "Construction of 200ft sector road from Radha Nikunj circle to Iskon road (Missing link) in Zone-8 ara JDA Jaipur amounting to Rs. 2,66,33,280.00	अधिसाषी अभियन्ता जोन-8 द्वारा समिति के समक्ष 200 फीट सेक्टर रोड राधा निकुंज से इस्कोन रोड (missing link) के निर्माण कार्य हेतु रु0 2,66,33,280.00 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति चाही गई है। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात रु0 2,66,33,280.00की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।	EE-8
9	DC-10	रिंग रोड परियोजना में रिजर्व भूमि की प्लानिंग कर नियमन बाबत।	उपायुक्त जोन-10 द्वारा रिंग रोड परियोजना में रिजर्व भूमि की प्लानिंग कर नियमन बाबत प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। विचार विमर्श पश्चात समिति द्वारा रिंग रोड परियोजना में रिजर्व भूमि पर की गई नवीन प्लानिंग का अनुमोदन किया गया। साथ ही उपायुक्त जोन-10, जोन-11 व जोन-14 निर्देश दिये गये कि जो भूमि रिंग रोड में अवाप्त की गयी है और उसकी प्लानिंग नहीं की गई है उस समस्त भूमि की गणना कर समुचित प्लानिंग की जाकर प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।	DC-10 DC-11 DC-14

Sum P

10	EE-Garden-II	Proposal for post facto approval of A&F sanction for Development of sylvan Park Phase-III (Rawadi Beed) at Agra Road, Jaipur for Rs. 7,59,06,741.00	अधिशायी अभियंता, उद्यान द्वितीय द्वारा विकास कार्य सिल्वन पार्क फेज-3 (रिवाडी बीड) आगरा रोड हेतु पूर्व में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति चाही गयी है। विचार विमर्श पश्चात समिति द्वारा रु0 7,59,06,741.00 कार्योत्तर स्वीकृति की प्रदान की गई।	EE-Garden II
11	EE-Elect-III	A&F sanction for Electrification work for Aditya Vihar Village Achrawala Phagi Road, Jaipur amounting to Rs. 7,50,73,000.00	अधिशायी अभियंता विद्युत-3 द्वारा आदित्य विहार गाँव अचरावाला फागी रोड पर विद्युतिकरण कार्य हेतु रु0 7,50,73,000.00 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। विचार विमर्श पश्चात समिति रु0 7,50,73,000.00 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।	EE-Elect-III
12	EE-Garden-I	Post Facto approval of A&F for Development of parks at Nilay Kunj scheme, JDA, Jaipur amounting to Rs. 2,36,57,034.00	अधिशायी अभियंता, उद्यान- प्रथम द्वारा निलय कुंज योजना में उद्यानो के विकास कार्य हेतु पूर्व में जारी रु0 2,36,57,034.00 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति चाही है। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात उक्त कार्य हेतु जारी स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	EE-Garden-I
13	DC-5	ग्राम सुशीलपुरा के खसरा न0 265,266,266 / 342, 266 / 343,,279,280,286, व 287 खातेदारी भूमि एवं जविप्रा के ग्राम सुशीलपुरा के खसरा न0 308/1 की भूमि के मध्य से 30 फीट चौड़ी रोड अनुमोदित करवाने बाबत।	उपायुक्त जोन-5 द्वारा ग्राम सुशीलपुरा के खसरा न0 265,266,266 / 342, 266 / 343,,279,280,,286, व 287 की खातेदारी भूमि एवं जविप्रा के ग्राम सुशीलपुरा के खसरा न0 308/1 की भूमि के मध्य से 30 फीट चौड़ी रोड अनुमोदित करवाने बाबत प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। मास्टर प्लान अनुसार पार्क/ ग्रीन क्षेत्र मे से सड़क देने बाबत चर्चा की गई। प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण मास्टर प्लान प्रकोष्ठ से किया जाकर प्रकरण निदेशक (TP)की टिप्पणी सहित आगामी बैठक मे रखा जावे।	DC-5
14	EE-DR-III	Agenda for post facto approval for change in scope of work and execution of additional work of Construction of RCC Box culverts at Dravyavati River, Sunder Nagar near Major Dam, Vidhadhar Nagar Road, Jaipur.	अधिशायी अभियंता-द्रव्यवती नदी-3 द्वारा द्रव्यवती नदी सुन्दर नगर मजार बांध के पास कार्य के स्कोप में बदलाव व अतिरिक्त कार्य निर्माण कार्य आर सी सी बाक्स कलवर्ट की कार्योत्तर स्वीकृति चाही है। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात उक्त कार्य करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	EE-DR-III
15	DC-9	जयपुर मेट्रो रेल कार्पोरेशन की जविप्रा की योजना निलय कुज विस्तार के अन्तर्गत मिश्रित भूखण्ड सं0 आर-1 (क्षेत्रफल 13000 वर्गमीटर) की प्लानिंग	उपायुक्त जोन-9 द्वारा जयपुर मेट्रो रेल कार्पोरेशन की जविप्रा की योजना निलय कुज विस्तार के अन्तर्गत मिश्रित भूखण्ड सं0 आर-1 (क्षेत्रफल 13000 वर्गमीटर) की प्लानिंग किये जाने बाबत प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। विचार विमर्श पश्चात समिति द्वारा जयपुर मेट्रो रेल कार्पोरेशन की	DC-9

Sum P

		किये जाने बाबत।	जविप्रा की योजना निलय कुज विस्तार के अन्तर्गत मिश्रित भूखण्ड सं० आर-1 (क्षेत्रफल 13000 वर्गमीटर) की प्लानिंग कर फ्लेटेड भूखण्ड सं० एफ-3 1155.76 वर्गमी०, एफ-2 1350.74 वर्गमी०, एफ-1 1346.05 वर्गमी०, एफ-4 1480.33 वर्गमी०, एफ-5 1282.14 वर्गमी०, एफ-6 1472.84 वर्गमी० and Sector commercial Plot SC-1- 1144-81 Sqm, SC-2 1012-50 Sqm and SC-3 1119.21 Sqm के भूखण्डों का सृजन कर मानचित्र अनुमोदन किया।	
16	Sr. Hort	Proposal for approval of A&F for Development and Maintenance of Central Park for 2 years amounting to Rs. 3,03,86,319.00	वरिष्ठ उद्यान विज्ञ द्वारा सेन्ट्रल पार्क में विकास एवं मरम्मत कार्य दो वर्ष के लिये रु० 3,03,86,319.00 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति चाही है। विचार विमर्श पश्चात समिति द्वारा रु० 3,03,86,319.00 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति चाही है। विचार विमर्श पश्चात समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।	Sr. Hort
17	EE-Traffic Works -II	Proposal for approval of A&F for the work of Traffic improvement and beautification works at OTS crossing, JLN marg, JDA, Jaipur amounting to Rs.150.80Crore	अधिकाधी अभियंता- ट्रेफिक वर्क्स-2 द्वारा जवाहरलाल नेहरू मार्ग मे ओ टी एस चौराहे पर यातायात सुधारिकरण एवं सौंदर्यकरण कार्य हेतु रु० 150.80 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। विचार विमर्श में पाया गया कि जे एल एन मार्ग एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो कि जयपुर शहर से अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़ता है, अतः प्रस्ताव ट्रेफिक इम्प्रुवमेन्ट के साथ साथ सड़क की Aesthetics and Imporance को ध्यान में रख कर तैयार किया जावे। अतः इस संदर्भ में निम्न अधिकारियों की समिति का गठन कर निर्देशित किया गया कि किसी उपयुक्त विकल्प पर विचार कर अपनी रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। 1. श्री अशोक चौधरी निदेशक अभियान्त्रिकी-प्रथम 2. श्री वी, के दलेला, निदेशक आयोजना 3. श्री देवेन्द्र गुप्ता, अति.मु.अभि. (ईजी.3) उक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त समिति की आगामी बैठक में निर्णय हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जावे।	EE-Traffic Work-II
18	EE-6	Proposal for A&F sanction of work "Renewal of road from Sitawali phatak to Benar phatak Zone-6, JDA, Jaipur amounting to Rs. 2,57,34,975.00	अधिकाधी अभियंता जोन 6 द्वारा सीतावाली फाटक से बेनाड़ फाटक तक सड़क सुधारिकरण कार्य हेतु रु० 2,57,34,975.00 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति चाही है। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात रु० 2,57,34,975 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।	EE-6

Handwritten signature/initials

19	EE-1	Proposal for approval of A&F sanction for Renewal of MI road (Panch Bati to Sanganeri Gate) and Ashok Marg(Bhagwan Das road to Tonk Road) in NNJ area in Zone-1 JDA, Jaipur amounting to Rs. 3,80,11,425.00	अधिशायी अभियंता जोन-1 द्वारा नगर निगम क्षेत्र में एम आई रोड (पांच बत्ती से सांगानेरी गेट) व अशोक मार्ग (भगवान दास मार्ग से टोंक रोड) के सड़क सुधारिकरण कार्य हेतु रु0 3,80,11,425.00 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति चाही है। विचार विमर्श पश्चात समिति द्वारा रु0 3,80,11,425.00 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।	EE-1
20	DC-1	एस.एम.एस. हाईवे विस्तार योजना बजाज नगर में आरक्षित भूखण्ड सं0 1/एफ का एण्ड यूज निर्धारित करने बाबत।	उपायुक्त जोन-1 द्वारा एस.एम.एस. हाईवे विस्तार योजना बजाज नगर में आरक्षित भूखण्ड सं0 1/एफ का एण्ड यूज निर्धारित करने बाबत समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार भारतीय औषधी मण्डल को आवंटित भूखण्ड सं0 1/ई का क्षेत्रफल 1666.67 वर्ग गज का स्थान पर 1881.94 वर्ग गज पाया गया अर्थात 215.27 वर्ग गज भूमि, आवंटित भूमि के अतिरिक्त पाई गई। इसी प्रकार आरक्षित भूखण्ड सं. 1/एफ का क्षेत्रफल निर्धारित 3420.00 वर्ग गज के स्थान पर 2116.77 वर्ग गज उपलब्ध है। जोकि मूल भूखण्ड क्षेत्रफल से 1303.03 वर्ग गज कम है। उपायुक्त जोन-1 को निर्देशित किया गया कि एस.एम.एस हाईवे विस्तार योजना का पुनः सर्वेक्षण कर भूखण्ड से 1/ई के बड़े हुए क्षेत्रफल एवं 1/एफ के कम हुए क्षेत्रफल की वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे। प्राधिकरण की भूमि को खाली कराते हुए आरक्षित भूखण्ड सं0 1/एफ की निर्धारित भूमि 3420.00 वर्ग गज प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ भूखण्ड सं0 1/एफ का एण्ड यूज जविप्रा जोन कार्यालय हेतु निर्धारित करते हुए शिघ्र निर्माण के प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।	DC-1
21	DC-1	सिद्धार्थ नगर ई-ब्लॉक मालवीय नगर योजना में आरक्षित भूखण्ड सं0 8 का उप विभाजन प्लान व उपयोग निर्धारण के सबन्ध में।	उपायुक्त जोन-1 द्वारा सिद्धार्थ नगर ई-ब्लॉक मालवीय नगर योजना में आरक्षित भूखण्ड सं0 8 का उप विभाजन प्लान व उपयोग निर्धारण के सबन्ध में प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। विचार विमर्श पश्चात समिति द्वारा सिद्धार्थ नगर ई-ब्लॉक मालवीय नगर योजना में आरक्षित भूखण्ड सं0 8 का उप विभाजन कर दो प्लॉट सं0 8 क्षेत्रफल 307.11 वर्ग मीटर व भूखण्ड सं.8ए क्षेत्रफल 301.92वर्ग मीटर के सृजित कर आवासीय उपयोग करने का निर्णय लिया गया।	DC-1
22	EE- Drainage	A&F sanction of total amount 142.00 Crore and financial sanction of Rs. 58.79 crore in Phase-I for the work Construction of major Drains in Jaipur to strengthen existing Drainage system at different locations.	अधिशायी अभियंता- ड्रेनेज द्वारा जयपुर शहर के ड्रेनेज सिस्टम को सुदृढ करने हेतु मुख्य मुख्य ड्रेनो के निर्माण हेतु रु0142.00 की प्रशासनिक स्वीकृति व प्रथम चरण में रु0 58.79 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति चाही है। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात रु0 142.00 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं रु058.79 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही निर्देश दिये कि प्रथम चरण में सिर्फ दो स्थानो पर 1)लूनियावास गोनेर रोड व 2) वन्दे मातरम-मुहाना मंडी रोड पर ही कार्य किया जावे।	EE- Drainage

[Handwritten Signature]

23	EE-Proj.II	Proposal for approval of A&F for the work of Construction of Guest House in Rajasthan International Centre Camus, Jhalana Doongri Jaipur amounting to Rs. 44.00 Crore.	अधिशायी अभियंता-प्रोजेक्ट-2 द्वारा राजस्थान इंटरनेशनल सेटर झालाना डूंगरी में गेस्ट हाउस निर्माण कार्य हेतु रु0 44.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति चाही है। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात उक्त कार्य हेतु रु0 44.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।	EE- Proj.II
24.	DC-13	जविप्रा की अनुमोदित फार्म हाउस योजना जमवारामगढ जयपुर के मानचित्र में संशोधन बाबत।	उपायुक्त जोन-13 द्वारा जविप्रा की अनुमोदित फार्म हाउस योजना जमवारामगढ जयपुर के मानचित्र में संशोधन बाबत प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 14.12.2021 द्वारा राजस्व ग्राम जमवारामगढ के खसरा न0 379 में 5 एकड़ (20235.00) भूमि राजकीय महाविद्यालय को भवन निर्माण हेतु निशुल्क आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गयी जिसकी क्रम में दिनांक 28.01.2022 को राजकीय महाविद्यालय को भवन निर्माण हेतु आवंटन पत्र जारी किया गया। विचार विमर्श पश्चात राजकीय महाविद्यालय को आवंटित भूखण्ड सं 12,13,14,15,16,17 कुल क्षेत्रफल 20235 वर्ग मीटर के भूखण्डो को एकजाई(पुनर्गठन) कर योजना मानचित्र में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। प्रस्तावित भूमि का भू उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 अनुसार इकालोजिकल व मास्टर विकास योजना 2025 अनुसार आवासीय, जोनल विकास योजना 2014 के अनुसार अन्य रिक्रियेशनल है अतः प्रस्तावित भूमि के भवन पेरामीटर, निदेशक आयोजना से निर्धारण करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये	DC-13
25	EE-8	Proposal for sanction of A&F for the work Construction of RCC drain work in Swarn Vihar Scheme Zone-8, JDA, Jaipur amounting to Rs 6,97,86,487.00	अधिशायी अभियंता जोन- 8 द्वारा स्वर्ण विहार स्कीम में आर सी सी ड्रेन निर्माण कार्य हेतु रु0 6,97,86,487.00 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति चाही है। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात रु0 6,97,86,487.00 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।	EE-8

The meeting ended with vote of thanks to the chair.

(Niranjan Mathur)
Addl. Chief Engineer-IV
& MS PWC


No.JDA/EE-5/PWC/2021-22/D-176

Dated: 26-4-2022

Copy to following for kind perusal and necessary action:

- 1.P.S. to Jaipur Development Commissioner, Jaipur.
2. P.S. to Secretary, Jaipur Development Authority, Jaipur.
3. P.S. to Collector, Jaipur
4. Chief Town Planner, Rajasthan, Jaipur.

5. Director (Engineering-I), Jaipur Development Authority, Jaipur.
6. Director (Engineering-II), Jaipur Development Authority, Jaipur.
7. Director (Engineering-III) Jaipur Development Authority, Jaipur.
8. Director (Engineering-IV) Jaipur Development Authority, Jaipur.
9. Director (Finance), Jaipur Development Authority, Jaipur.
10. Director (T.P.), Jaipur Development Authority, Jaipur.
11. Addl. Chief Engineer, I/II/III/V/VI, Electrical, JDA, Jaipur
12. Addl. Commissioner (East/West/LPC/ Land/Admn, JDA, Jaipur.
13. S.E.-I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII/IX/X/XI/XII/XIII, XIV, Electrical, JDA, Jaipur.
14. Deputy Commissioner (), Jaipur Development Authority, Jaipur.
15. ACTP (MP) JDA, Jaipur.
16. Executive Engineer (), Jaipur Development Authority, Jaipur.
17. PRO, Jaipur Development Authority, Jaipur.
18. System Analyst, JDA, Jaipur. /PMIS Cell


Executive Engineer-5,
JDA, Jaipur.